

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:- एफ.4(ई) के-1968/2013/ अलेसे-III/ 4162

दिनांक :- 30-08-19

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए एवं कॉलम 05 में अंकित चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1(1) वित्त (नियम)/2007 दिनांक 06.08.2018 के अनुसरण में नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कं. सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है:-
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि	
1	2	3	4	5	6
1	10823	सुश्री कृतिका शर्मा, कनि. लेखाकार	दिनांक 13.12.2018 से 14.12.2018 तक	दिनांक 08.10.2018 से 12.12.2018 तक	अतिरिक्त कोषाधिकारी (पेंशन) सीकर

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई) के-1968/2013/ अलेसे-III/ 4162

दिनांक :- 30-08-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त कोषाधिकारी, (पेंशन) सीकर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर वेतन भुगतान एवं सेवा पुरितका में इन्द्राज कराने की व्यवस्था करावे।
2. सुश्री कृतिका शर्मा, कनि. लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त कोषाधिकारी, (पेंशन) सीकर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
4. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)